प्रधानआयुक्तसीमाशुल्क(आयात) का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CUSTOMS (IMPORT),
हवाईमाल परिसर, सहार, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400099
AIR CARGO COMPLEX, SAHAR, ANDHERI (E), MUMBAI – 400099
Email: Pro.acc-sahar@gov.in

दिनांक: 04.04.2026

सार्वजनिक सूचना संख्या: 01/2026-27

विषय: बिल ऑफ एंट्री की विलंब से फाइलिंग पर शुल्क की माफी।

आयातकों, कस्टम ब्रोकरों तथा सभी अन्य हितधारकों का ध्यान कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 46 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसे *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) विनियम, 2018* (अधिसूचना संख्या 36/2018-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 11.05.2018), *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) संशोधन विनियम, 2021* (अधिसूचना संख्या 34/2021-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 29.03.2021); *बिल ऑफ एंट्री (फॉर्म्स) संशोधन विनियम, 2021* (अधिसूचना संख्या 35/2021-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 29.03.2021); तथा परिपत्र संख्या 08/2021-कस्टम्स दिनांक 29.03.2021 के साथ पढ़ा जाए।

2. *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) संशोधन विनियम, 2021* के अनुसार, उस कस्टम हवाई अड्डे के मामले में जहां माल को घरेलू उपभोग या वेयरहाउसिंग के लिए क्लियर किया जाना है, अधिकृत व्यक्ति को उस विमान के आगमन के दिन (जिसमें अवकाश भी शामिल हैं) के अंत से पहले बिल ऑफ एंट्री दाखिल करना होगा, जो माल लेकर आया है।

3. *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) विनियम, 2018* के विनियम 4 के उप-विनियम (3) के अनुसार, जहां बिल ऑफ एंट्री उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट समय के भीतर दाखिल नहीं किया जाता है और कस्टम के सक्षम अधिकारी इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि ऐसी देरी के लिए पर्याप्त कारण थे, वहां आयातक को बिल ऑफ एंट्री की विलंबित प्रस्तुति के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि प्रारंभिक तीन दिनों के लिए प्रति दिन पांच हजार रुपये की दर से तथा उसके पश्चात प्रत्येक दिन के लिए प्रति दिन दस हजार रुपये की दर से देय होगा।

4. आगे, *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) विनियम, 2018* के विनियम 4 के उप-विनियम (4) (संशोधित) के अनुसार, किसी भी बिल ऑफ एंट्री के

संबंध में विलंब प्रस्तुति शुल्क उस विशेष बिल ऑफ एंट्री के संबंध में देय शुल्क से अधिक नहीं होगा। साथ ही, जहां किसी भी कारण जैसे छूट आदि के कारण किसी बिल ऑफ एंट्री पर कोई शुल्क या अन्य शुल्क देय नहीं है, वहां विलंब प्रस्तुति शुल्क पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

5. यदि कस्टम का सक्षम अधिकारी बिल ऑफ एंट्री दाखिल करने में देरी के कारणों से संतुष्ट है, तो वह कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 46 की उप-धारा (3) के तीसरे प्रावधान में उल्लिखित शुल्क को *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) विनियम, 2018* के विनियम 4 के उप-विनियम (3) के प्रावधान के अनुसार (संशोधित) माफ कर सकता है।

6. कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 46(3) के तीसरे प्रावधान के अंतर्गत सक्षम अधिकारी संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम हैं, जिन्हें अधिसूचना संख्या 26/2022-कस्टम्स (एन.टी.) दिनांक 31.03.2022 द्वारा अधिसूचित किया गया है। अतः, सभी मामलों का निपटान संबंधित मूल्यांकन समूहों के संयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त द्वारा किया जाएगा। शुल्क माफी के अनुरोध के साथ समय पर बिल ऑफ एंट्री प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्रमाण में बिल ऑफ एंट्री का जनरेट न होना तथा ICEGATE हेल्पडेस्क को समस्या की सूचना (टिकट नंबर सहित), ICEGATE हेल्पडेस्क द्वारा प्राप्ति/प्रतिक्रिया तथा संबंधित ईमेल/संचार का विवरण आदि शामिल होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, CBIC द्वारा जारी निर्देश संख्या 12/2017-कस्टम्स दिनांक 31.08.2017 के अनुसार, सक्षम अधिकारी अर्थात अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि व्यापार एवं हितधारकों, विशेषकर राजनयिक मिशनों/भारतीय रक्षा बलों/सरकारी विभागों को अनावश्यक कठिनाई न हो और वास्तविक मामलों में आवश्यक राहत प्रदान की जाए।

7. संबंधित मूल्यांकन समूह के प्रभारी सहायक/उप आयुक्त केवल उन्हीं मामलों की प्रक्रिया करेंगे जो *बिल ऑफ एंट्री (इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड डिक्लेरेशन एवं पेपरलेस प्रोसेसिंग) विनियम, 2018* (संशोधित) के अंतर्गत आते हैं तथा जिन्हें आयातक/कस्टम ब्रोकर द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. ICES परामर्श संख्या 8/2020 के अनुसार, ACL मेनू में "Waiver of Late Filing Charges" के लिए एक अलग विकल्प प्रदान किया गया है ताकि इसे मूल्यांकन से अलग किया जा सके। PAG अधिकारी, जिसके पास ACL भूमिका है, निर्धारित सक्षम अधिकारी (ADC/JC) से विधिवत अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात शुल्क को ड्यूटी भुगतान से पहले किसी भी समय माफ कर

सकता है। यह उन बिल ऑफ एंट्री पर भी समान रूप से लागू होगा जिनका मूल्यांकन किसी अन्य FAG द्वारा किया गया है।

9. इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी स्थायी आदेश संख्या 16/2017 दिनांक 23.11.2017 तथा इस संबंध में जारी अन्य कोई भी आदेश, जहां तक वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रावधानों से असंगत हैं, इस द्वारा निरस्त माने जाएंगे।

10. इस सार्वजनिक सूचना के कार्यान्वयन में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उसे अतिरिक्त आयुक्त कस्टम, तकनीकी (आयात), ACC, मुंबई (ईमेल: pro.acc-sahar@gov.in) के संज्ञान में लाया जा सकता है। सहायता, स्पष्टीकरण एवं जानकारी के लिए आयातक एवं कस्टम ब्रोकर हमारे हेल्प डेस्क TSK (तुरंत सुविधा केंद्र) से ईमेल tsk.accmumbaizone3@gov.in / दूरभाष 022-26816696 पर संपर्क कर सकते हैं या हमारी आधिकारिक वेबसाइट https://mumbaicustomszone3.gov.in पर जा सकते हैं।

(मनीष चन्द्रा)
प्रधान आयुक्त सीमा शुल्क (आयात)
ACC, मुंबई

प्रतिलिपि:

1. प्रधान मुख्य आयुक्त कस्टम, मुंबई कस्टम जोन-III, मुंबई।
2. प्रधान आयुक्त/आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
3. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
4. सभी अतिरिक्त/संयुक्त आयुक्त कस्टम (सामान्य एवं निर्यात), ACC, मुंबई।
5. सभी उप/सहायक आयुक्त कस्टम (आयात), ACC, मुंबई।
6. व्यापार संघ।
7. कस्टम ब्रोकर संघ (BCBA)।
8. MIAL / एयर इंडिया।
9. EDI अनुभाग (वेबसाइट पर अपलोड हेतु) ।
10. कार्यालय प्रति।